


स.क्र.	जिले का नाम	स्थान जहाँ उद्योग स्थित है	उद्योग का नाम	अक्टूबर-2017 तक बकाया जलकर राशि (रु. लाख में)	अभियुक्ति
1	उज्जैन	बिरला ग्राम नागदा	ग्रेसिम उद्योग नागदा	136.36	दिनांक 01.05.1998 से दिनांक 31.05.2006 तक ग्रेसिम उद्योग नागदा का विभाग से जल उपयोग हेतु अनुबंध नहीं था। उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मांग पत्र जिसमें अन्य उद्योगों एवं रेलवे नागदा की मांग भी सम्मिलित थी के आधार पर 58000 घ.मी. प्रतिदिन के मान से विभाग द्वारा देयक दिया गया था। चूंकि अनुबंध दिनांक 01.06.2006 से लागू हुआ इसलिए दिनांक 31.05.2006 तक 58000 घ.मी. प्रतिदिन के मान से बिल दिया गया। इस संबंध में कंपनी द्वारा उपयोग की गई जल की मात्रा (मीटर रीडिंग) अनुसार बिल दिये जाने हेतु आवेदन दिया है। उक्त आवेदन का निराकरण प्रक्रियाधीन है। इसी कारण से ग्रेसिम उद्योग नागदा द्वारा उक्त लंबित राशि रु.136.36 लाख का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अनुबंध दिनांक 01.06.2006 के पश्चात कंपनी द्वारा नियमित रूप से जलकर का भुगतान किया जा रहा है।
		महिदपुर	सेठ गोविंदराम शुगर मिल	0.54	वर्तमान में मिल बंद हो चुकी है एवं वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है। वसूली प्रक्रियाधीन है।
2	रतलाम	रतलाम	-निरंक-	-निरंक-	रतलाम जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा शासकीय/नैसर्गिक जल स्रोत से किसी भी उद्योग को जल आवंटित नहीं किया गया है।
3	इंदौर	इंदौर	-निरंक-	-निरंक-	इंदौर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा शासकीय/नैसर्गिक जल स्रोत से किसी भी उद्योग को जल आवंटित नहीं किया गया है।
योग				रुपये 136.90	

  
(भरत गोसावी)

मुख्य अभियंता, बोधी,  
एवं सदस्य सचिव, साधिकार समिति,  
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल